लोक सुनवाई का वृत।

श्री पप्पू कुमार, पिता–श्री चैतू राय, ग्राम– दाउदपुर, वार्ड नं0–03, पोस्ट– दाउदपुर, थाना–शाहपुर, जिला–पटना द्वारा पटना गंगा –04 (कलस्टर–04) बालू घाट, मौजा–बेनीपुर दियारा, ब्लॉक–बख्तियारपुर, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 13.02.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2479/2023, dated 09.10.2023 के आलोक में श्री खगेश चन्द्र झा, अपर जिला दण्डाधिकारी, सामान्य, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 13.02.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 11.01.2024 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्‌देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (200 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining

Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः—

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री लाल कृष्ण यादव, पिता— श्री मुन्द्रिका राय, ग्राम—ग्यासपुर, अंचल— बख्तियारपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान परिवहन से बहुत धूल—कण उड़ेगा, इसका क्या इंतजाम किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।पेड़ लगाये जायेंगे। बालू से लदा गाड़ी का परिवहन Speed limit में किया जायेगा।
2.	श्री राकेश कुमार, पिता— श्री सिकंदर राय, ग्राम—टेका बीगहा, अंचल— बख्तियारपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन हो लेकिन सरकार के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो।
3.	श्री रंजीत रंजन, पिता— श्री राम विलास प्रसाद सिंह, ग्राम—काला दियारा, अंचल— बख्तियारपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन 03 मी0 से अधिक किया जायेगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना नया है इस परियोजना के तहत् सारे काम नियम से होंगे। 03 मीटर से अधिक खनन करने पर शिकायत खनिज विकास पदाधिकारी, पटना को कर सकते है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कारवाई की जायेगी।
4.	श्री रंजीत रंजन, पिता— श्री मुन्ना यादव, ग्राम—माधोपुर, अंचल— बख्तियारपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना पहले भी होता था मगर बख्तियारपुर नगर के लिये कोई उपाय नहीं किया जाता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना नया है। इस परियोजना के तहत् सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 3 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय—समय पर किया जायेगा। बालू

		से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय-जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है।
5.	श्री शिवशंकर प्रसाद, पिता- श्री धर्मदेव प्रसाद, बख्तियारपुर, जिला-पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू घाट पर अगर मिट्टी पायी जाती है, तो क्या करेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि मिट्टी केवल ऊपरी सतह पर छः ईंच के लगभग में मिल सकता है। इस ऊपरी मिट्टी (Top Soil) को हटाकर रखा जाएगा एवं इसका संरक्षण किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा लोक-सुनवाई के दौरान पूछा गया कि इस खनन परियोजना के विरूद्ध कोई हैं तो बताये। किन्हीं द्वारा इस खनन परियोजना का विरोध नहीं किया गया। उपस्थित सभी जन समुदाय ने खनन परियोजना चालू करने की सहमति जताई।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर जिला दण्डाधिकारी,
पटना

उपस्थिति सूचि

श्री पप्पू कुमार, पिता–श्री चैतू राय द्वारा पटना गंगा–04 (कलस्टर–04) बालू घाट, मौजा–बेनीपुर दियारा, ब्लॉक– बख्तियारपुर, जिला–पटना में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः–

स्थान– अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर दिनांक 13.02.2024 समय–11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
	[illegible]	ADM General Patna	[signature]
1.	शाहबाज अहमद	खनन निरीक्षक जिला खनन कार्यालय पटना	Shahbaz Ahmad 13/2/24.
2.	आशीष कुमार गुप्ता	सहायक पदाधिकारी बि०रा०प्र०नि०पर्षद, पटना	[signature] 13-2-24
3.	Vaibhav Kajale, IAS.	BDO/CO BKP	[signature] 13/2/24
4.	[illegible] कु० शर्मा	Rian Enviro Pvt Ltd Patna.	[signature] 13-02-24
5.	अभिषेक कुमार	Rian Enviro Pvt Ltd Patna	[signature] 13-2-24
6.	Santosh kumar	Kotliya Patwariy	[signature] 13/2/24
7.	[illegible]	[illegible]	[signature]
8.	शंकर यादव	बख्तियारपुर [illegible]	शंकर यादव
9.	सुरेश राय	काला दियारा	सुरेश राय
10	[illegible]	काला दियारा	[illegible]
11	मदन प्रसाद	[illegible]पुर	मदन प्रसाद
12	पंकज कु० यादव	बेनीपुर	Pankaj Kr
13	[illegible] कु० [illegible]	बेनीपुर	[illegible] Kr
14	मन्टू राय	बेनी पुर	मन्टू राय
15	Chandan Kr	काला दियारा	Chandan Kr
16	रामबाबू राय	बेनी पुर	रामबाबू राय

ASHOK PRASAD. BKP. [signature]

17	विशाल कुमार	कालादियारा	Vishal Kumar
18	आदीत राज	कालादियारा	आदीत राज
19	रंजीत रंजन	कालादियारा	रंजीत रंजन
20	मुकेश कुमार	बेनीपुर	मुकेश कुमार
21	राज किशोर कुमार	फतुहा	राज किशोर कुमार
22	ओंकार कुमार	फतुहा	ओंकार कुमार
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	राकेश कुमार	टेका बिघा	Rakesh
25	विश्वनाथ मण्डल	[illegible]	Vishwanath [illegible]
26	अविनाश राज	श्यामपुर	Avinash Raj
27	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
28	गंगाधर मंडल	[illegible]	Gangadhar mandal
29	राहुल कुमार	श्यामपुर	Rahul Kumar
30	[illegible] राम	राम किशोर राय सैदपुर टोला	[illegible] Kumar
31	Dinesh km	Champur	[illegible]
32	सन्तोष कुमार	[illegible]	[illegible]
33	बन्टी कुमार	पटना सीटी	बन्टी कुमार
34	Last from Ex-Meeting	[illegible]	Last from
35	Kranti Kum	Said Purfad	Kranti Kum
36	[illegible] कुमार	सैदपुर टोला	[illegible] कुमार
37	Mukesh Chandra Prasad	Saidpur tola	Mukesh Chan prasad

38	दिलीप कुमार	सैदपुर टोला	दिलीप कुमार
39	सुनील कुमार	बेनीपुर	सुनील कुमार
40	बीरु जी	बखितयारपुर	बीरु जी
41	मुरली कुमार	गयासपुर	मुरली कुमार
42	अखिलेश कुमार	सैदपुर	अखिलेश कुमार
43	भुवनेश्वर सिंह	सैदपुर	भुवनेश्वर सिंह
44	सत्येन्द्र कुमार	मिरजाहापुर ([illegible])	सत्येन्द्र कुमार
45	पवन गोप	B.K.P.	पवन गोप
46	पप्पु कुमार	ग्यासपुर	पप्पु कुमार
47	अविनाश कुमार	शिवगंज [illegible]	Avijm
48	पिन्टु कुमार	शिवगंज परसामिट्टी	पिन्टु कुमार
49	मनोज कुमार देव	सैदपुर	मनोज कुमार देव
50	[illegible] कुमार	कसबा	[illegible] कुमार
51	नागेन्द्र राय		नागेन्द्र राय
52	अजीत कुमार	नयाटोला	अजीत कुमार
53	बिमल कुमार सिंह	बेनीपुर	बिमल कुमार सिंह
54	विरेन्द्र कुमार	बेनीपुर	Virendra Kumar
55	विनय कुमार	[illegible]पुर	Vinay [illegible]
56	रंजीत कुमार	माधोपुर	[illegible]
57			
58			